Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 27 ◻ अंक- 234 ◻ रायपुर, सोमवार 16 सितम्बर 2024 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● बिलासपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने में ही हो सकेगी सरकारी राशि की वसूली: हाईकोर्ट

बिलासपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल शिक्षक ने सेवानिवृत्ति के दो साल बाद जारी वसूली नोटिस को अवैध बताया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी से नेगेटिव बैलेंस की राशि वसूलने के लिए महालेखाकार कार्यालय को सेवानिवृत्ति के छह महीने के भीतर ही कार्रवाई करनी होगी। यदि इस अवधि के बाद वसूली करनी हो तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए सिविल अदालत का रुख करना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा, प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली योग्य सरकारी राशि सेवानिवृत्ति के छह महीने के भीतर समायोजित की जानी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी के खिलाफ कोई सरकारी दावा बकाया नहीं है। हालांकि, पानी के बिल और मकान किराए की राशि को एक साल के भीतर वसूला जा सकता है। इसके बाद किसी भी वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।

याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने अपने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते से नेगेटिव बैलेंस की वसूली को चुनौती दी थी। उन्होंने 31 मई 2008 को राजनांदगांव जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोमाटोला से सेवानिवृत्ति ली थी। वर्ष 2010 में उन्हें उनके जीपीएफ खाते में 2 लाख 85 हजार 711 रुपये का नेगेटिव बैलेंस होने की जानकारी दी गई, जिसे बाद में 2 लाख 57 हजार 114 रुपये पर संशोधित किया गया। याचिकाकर्ता ने इस वसूली के खिलाफ रिट याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि यह नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने के भीतर वसूली की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने दावा किया कि सेवानिवृत्ति के दो साल बाद जारी वसूली नोटिस अवैध था और अनुमेय समय सीमा से बाहर था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि जीपीएफ खाते में नेगेटिव बैलेंस के कारण वसूली न्यायसंगत थी। अदालत ने पाया कि 2013 में जारी वसूली आदेश नियमों का उल्लंघन था क्योंकि यह छह महीने की वसूली अवधि से अधिक था। अदालत ने फैसला सुनाया कि आगे की कोई भी वसूली कानूनी प्रक्रिया जैसे सिविल मामला दायर करने के बाद ही की जा सकती है। अदालत ने 2013 के आदेश को अवैध करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया और प्रतिवादियों को 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के शेष जीपीएफ और सेवानिवृत्त देयताओं को निपटाने का निर्देश दिया। सरकार को आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वसूली करने का विकल्प दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 45 रुपए घटे सीमेंट के दाम

रायपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं. बता दें कि सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे. इसका रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था और मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र भी लिखा था और बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की थी. पत्र में सांसद ने उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला, और ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है, इसके बावजूद सीमेंट कंपनियों ने 3 सितंबर 2024 से कीमतों में एकाएक वृद्धि की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी हैं, जो कि प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है।

रेट बढ़ने पर सांसद बृजमोहन ने सीएम केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा था पत्र

सांसद ने पत्र में आगे उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार को सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कीमतों की वृद्धि को वापस कराकर आम जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता है। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों को खनिज, कोयला, ऊर्जा, और सस्ती बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी कीमतों में वृद्धि सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भार है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में सीमेंट का मासिक उत्पादन लगभग 30 लाख टन (8 करोड़ बैग) है। 3 सितंबर 2024 से पूर्व सीमेंट की कीमतें लगभग 260 रुपए प्रति बोरी थीं, जो अचानक एक दिन में 310 रुपए कर दी गई हैं। सरकारी और जनहित के प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाला सीमेंट भी 210 से बढ़ाकर 260 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में सीमेंट की कीमत में वृद्धि पर चिंता जताते हुए यह भी बताया कि कीमत वृद्धि का असर छत्तीसगढ़ में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे सड़क, भवन, पुल-पुलिया, नहर, स्कूल, कॉलेज, और पीएम आवास योजना पर भी पड़ेगा। इस अचानक की गई वृद्धि से शासकीय प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए घर बनाना कठिन हो जाएगा, जो कि राज्य और देश के हित में नहीं है।

ब्रेकिंग न्यूज

आतंकवाद को पाताल में दफन करेंगे : शाह

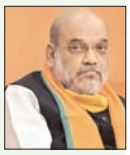

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। एक ओर वे लोग (नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस) आतंक से लैस जम्मू-कश्मीर बनाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी विकसित कश्मीर बनाना चाहते हैं। धारा-370 हटने के बाद यहां की महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, उसे वो (नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस) समाप्त करना चाहते हैं, तो वहीं मोदी जी महिलाओं के साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं। शाह ने कहा, 1990 की तरह आज भी प्रयास हो रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस ने यहां कुछ वादें किए हैं कि उनकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज आप लोगों को कहता हूं कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है, भारत की भूमि पर आतंकवाद फैलाए। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रैली कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विभाजन के दिन देखें, 1990 में आतंकवाद के दिन देखें। चंद्रिका शर्मा हों या परिहार बंधु हों...सभी ने कुर्बानियां दीं। मैं आज इस क्षेत्र सहित जम्मू-कश्मीर की जनता से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा।

सौर ऊर्जा से जगमगाएगी सूर्यवंशी भगवान राम की अयोध्या

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो (री-इन्वेस्ट) में अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को सोलर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान राम सूर्यवंशी थे। अब अयोध्या के हर घर, दफ्तर और सेवाओं का संचालन सोलर से होगा।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, अरविन्द केजरीवाल ने दो दिन बाद इस्तीफा देने की बात कही है।

चुहिया- हां जी, उनका टायपिस्ट दो दिन की छुट्टी मना रहा है।

'नमो भारत रैपिड रेल' नाम से जानी जाएगी भुज-अहमदाबाद वंदे मेट्रो, उद्घाटन से पहले बदला नाम

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। भुज-अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घंटे पहले बदल दिया गया। यह ट्रेन अब नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज-अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे मेट्रो सेवा को सोमवार शाम 4:15 बजे बजे भुज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे।

रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक यह ट्रेन भुज से अहमदाबाद तक की 359 किमी की दूरी 5:45 घंटे में तय करेगी। साथ ही इस ट्रेन का नौ स्टेशनों पर ठहराव होगा। यात्री इस ट्रेन में मंगलवार से यात्रा कर सकेंगे। साथ ही पूरी भुज-अहमदाबाद के बीच 455 रुपये किराया लगेगा। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि रेल मंत्रालय ने वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल करने का फैसला किया है। ट्रेन में 12 कोच लगाए गए हैं। इनमें 1150 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन में सीटों को एर्गोनोमिक रूप से डिजाइन किया गया है। साथ ही वातानुकूलित केबिन हैं। इस बारे में रेलवे मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जबकि अन्य मेट्रो कम दूरी तय करती हैं, मेट्रो ट्रेनें शहर के केंद्र से परिधीय शहरों को जोड़ेंगी। ट्रेन सुबह 5.05 बजे भुज से अपनी यात्रा शुरू करेगी और उसी दिन सुबह 10.50 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगी। इसके बाद अपने रिटर्न ट्रिप के लिए यह अहमदाबाद से शाम 5.30 बजे रवाना होगी और रात 11.10 बजे भुज पहुंचेगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी।

पटरी से डिरेल हुई ट्रेन, ट्रैक को क्लियर करने रातभर डटी रही 30 लोगों की टीम

जगदलपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। नगरनार प्लांट से एचआर कॉइल लेकर जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे नगरनार के पास वाई-जंक्शन पर दो लोडेड एचआर कॉइल वैगन पटरी से उतर गए, इस घटना से क्षेत्र में आवागमन बाधित रहा. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे ने एमएफडी की टीम को मौके पर भेजा.

करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार तक रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा किया गया और वैगन को फिर से पटरी पर लाया गया. वहीं ट्रेनों का संचालन भी सामान्य हो गया है. इस पूरे कार्य में 30 लोगों की टीम रातभर काम करती रही. 21 घंटे बाद ट्रैक को क्लियर कर दिया गया. घटना में हुए खर्च का भुगतान एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की ओर से किया जाएगा।

लोहरीडीह में हालात सामान्य, अब तक गिरफ्तार किए गए 30 आरोपी

कवर्धा, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। रेंगाखार के लोहरीडीह गांव पूर्व सरपंच को जिंदा जलाने के मामले में गांव के 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें महिलाएं भी हैं। दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अभी भी वहां बल तैनात है। बताया गया कि गांव के शिवकुमार साहू की पेड़ पर लाश लटकी पाई गई। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया।उनका शक था कि पूर्व सरपंच रघुनाथ से जमीन विवाद चल रहा था और उसने ही शिव कुमार साहू की हत्या की है। रविवार को शाम उतेजित ग्रामीण रघुनाथ के घर गए और उनके घर में आग लगा दी। वहां सिलेंडर फट गया। रघुनाथ घर पर था उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस वहां पहुंची और झूमा झटकी के बीच करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है।

दो एमएमबीएस छात्र जलाशय में डूबे

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रविवार शाम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दो छात्र जलाशय में डूब गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अजयगढ़ कस्बे के पास धवारी बांध में हुई। उन्होंने बताया कि अजयगढ़ निवासी कृष्णा गुप्ता (20) और उमरिया निवासी अरविंद प्रजापति (19)की डूबकर मौत हो गई;दोनों इंदौर में स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे।

चाचा-भतीजा नदी में बहे एसडीआरएफ तलाश में जुटी

बलरामपुर, 16 सितंबर (हाईवे चैनल)। जिले में नदी पार करते वक्त चाचा-भतीजा तेज बहाव में बह गए। लालसाय (50) और प्रभु (39) दोनों रविवार को काम से पस्ता गए थे। वापस लौटते वक्त जलस्तर काफी बढ़ गया था। दोनों का अभी पता नहीं चल पाया है। पस्ता थाना क्षेत्र की चिलमा गांव की ये घटना है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी-नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट और सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा में यलो अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। जिसके असर से एक गहरा अवदाब एक दबाव के रूप में झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में 17 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी।

प्रदर्शन अब भी जारी, बातचीत के लिए ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को फिर बुलाया

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को फिर से कोलकाता स्थित अपने आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि यह पांचवां और अंतिम निमंत्रण है। बंगाल के मुख्य सचिव ने डॉक्टरों से खुले दिमाग के साथ चर्चा के लिए बनर्जी से उनके कालीघाट आवास पर मिलने का आग्रह किया। इससे पहले, डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अंतिम समय में सरकार ने उन्हें ठुकरा दिया। इस बीच, सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट और स्तरित आवाज विश्लेषण के दौरान भ्रामक पाए गए। 9 अगस्त को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में जमानत प्रदान की। हालांकि, इस जमानत के साथ कई महत्वपूर्ण शर्तें भी लगी थीं, जिन्होंने उनके प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित किया।

कोर्ट की 6 प्रमुख शर्तें- 1. मुख्यमंत्री कार्यालय की एंट्री पर पाबंदी- केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं दी गई। 2. फाइल साइन पर पाबंदी- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के चलते केजरीवाल को लेना पड़ा इस्तीफे का फैसला

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तें भी एक प्रमुख कारण मानी जा रही हैं। इन शर्तों ने न केवल केजरीवाल की जमानत की राह को आसान बनाया, बल्कि उनके मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने के अधिकारों को भी काफी सीमित कर दिया है।

13 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत प्रदान की। हालांकि, इस जमानत के साथ कई महत्वपूर्ण शर्तें भी लगी थीं, जिन्होंने उनके प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित किया।

कोर्ट की 6 प्रमुख शर्तें- 1. मुख्यमंत्री कार्यालय की एंट्री पर पाबंदी- केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में जाने की अनुमति नहीं दी गई। 2. फाइल साइन पर पाबंदी- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकते जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो। 3. सार्वजनिक बयान पर प्रतिबंध- केस से जुड़े ट्रायल पर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते। 4. गवाहों से बातचीत पर रोक- केस के गवाहों से किसी भी प्रकार की बातचीत करने पर प्रतिबंध है। 5. आधिकारिक फाइलों तक पहुंच पर पाबंदी- केस से संबंधित किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रख सकते। 6. जांच में सहयोग- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होकर जांच में पूरा सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इन शर्तों के बाद, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वह दो दिन के भीतर पद छोड़ देंगे और भविष्य में तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उनकी ईमानदारी पर मुहर नहीं लगाती। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और दोनों नेता चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। उनका सुझाव है कि महाराष्ट्र के साथ नवंबर में दिल्ली में भी चुनाव कराए जाएं। हालांकि, दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों ने अरविंद केजरीवाल के प्रशासनिक कार्यों को काफी हद तक सीमित कर दिया था, जिससे उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा और चुनाव की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी।

अलर्ट! 350 किमी स्पीड वाला चक्रवाती तूफान 'यागी' का भारत पर असर

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (न्यूज चैनल)। देशभर में मानसून का मौसम समाप्त होने के साथ ही एक नए खतरनाक तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान %यागी% 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, जिसने चीन में तबाही मचाई थी। अब इस तूफान का असर भारत में महसूस किया जा रहा है, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान %यागी% 15 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और अब यह झारखंड समेत कई अन्य राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान के कारण गहरे दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे-धीरे कमजोर होते हुए हवाओं का रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से देशभर में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगले चार दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है।